रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2018/आश्विन 11, 1940

No. 366] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940

IndiaCode

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीयखाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

फा. सं0 12/01/2010-प्रशासन/एफ.एस.एस.ए.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं0 फाइल सं0 12/01/2010-प्रशासन/एफ.एस.एस.ए.आई,तारीख 7 फरवरी, 2018 द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति)

विनियम, 2018 का कतिपय प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 8 फरवरी, 2018 को उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था, जिस तारीख को उस विनियम को राजपत्र में प्रकाशित कराया गया था;

और जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भली-भाँति विचार कर लिया गया है और यथासंभव सीमा तक उपयुक्त उपबंध शामिल कर दिए गए हैं;

अत: अब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (क) इन विनियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति) विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

(ग) ये विनियम इनके साथ अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगें।

2. परिभाषाएँ,- इन विनियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) **"केंद्रीय सरकार"** से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ग) **"आयु"** से अनुसूची में विहित ऊपरी आयु सीमा अभिप्रेत है;

(घ) **"नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी"** से, खाद्य प्राधिकरण के अधीन पदों के संबंध में, निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (1,44,200 - 2,18,200) और उससे ऊपर के समूह 'क' के सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का अध्यक्ष, परंतु इनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल नहीं है ।

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (1,44,200 - 2,18,200) से नीचे के समूह 'क' के सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(iii) समूह 'ख' के सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक; और

IndiaCode

(iv) समूह 'ग' के समतुल्य सभी समकक्ष पदों के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्यालय या खाद्य प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों या प्रयोगशालाओं में स्थापना के प्रभारी निदेशक अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत;

(ङ) **"मुख्य कार्यकारी अधिकारी"** से खाद्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) **"उम्मीदवार"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट पदों में से किसी पद के लिए पात्र हो;

(छ) **"अनुबंधित कर्मचारी"** से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जिसकी नियुक्ति किसी विहित अवधि के लिए संविदा के आधार पर की गई हो;

(ज) **"समिति"** से अनुसूची या इन विनियमों के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधानों में विहित खोज-सह-चयन समिति, विभागीय पदोन्नति समिति, छँटनी या विशेषज्ञ समिति या मूल्यांकन बोर्ड अभिप्रेतहै और उसमें शामिल है;

(झ) **"सीधी नियुक्ति"** से प्राधिकरण द्वारा की गई वह नियुक्ति अभिप्रेत है, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति से भिन्न हो;

(ञ) **"प्रतिनियुक्ति"** से भर्ती की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसद्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पदों पर केंद्रीय सरकार या राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के विभागों के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं;

(ट) **"परिवीक्षा"** से अभिप्रेत है कि किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में विहित अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(ठ) **"मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक बोर्ड"** से वह विश्वविद्यालय या बोर्ड अभिप्रेत है,जिसे भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल, जैसी भी स्थिति हो, को किसी विधि द्वारा स्थापित किया गया हो और उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;

(ड) **"अल्प-कालिक अनुबंध"** से गैर-सरकारी संस्थाओं, यथा विश्वविद्यालय, मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थान,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमके अधिकारियों की खाद्य प्राधिकरण में किसी विहित अवधि के लिए भर्ती की पद्धति अभिप्रेत है;

(ढ) **"विभागीय कर्मचारी या उम्मीदवार"** से इन विनियमों के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियमित आधार पर नियुक्तसभी व्यक्ति और इन विनियमों के भाग 3 के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है;

IndiaCode

(ण) इन विनियमों में प्रयुक्त परंतु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा, जो उनसे क्रमश: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का संख्यांक 10) या नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) में अभिप्रेत है।

अध्याय II
पदों का वर्गीकरण

3. प्रारंभिक गठन.- इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियमित आधार पर नियुक्त सभी व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त माने जाएँगे और उन द्वारा की गई सेवा पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

4. पदों का वर्गीकरण.- खाद्य प्राधिकरण के पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा,-

क्रम सं0	विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 या उससे ऊपर के स्तर के पद	समूह ''क''
2.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 से स्तर 9 तक के पद	समूह ''ख''
3.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से स्तर 5 तक के पद	समूह 'ग''

IndiaCode

5. पद, संवर्ग, वर्गीकरण और वेतनमान.-

(क) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में अनुसूची में यथा-उल्लिखित तीन संवर्ग होंगे, अर्थात् प्रशासनिक और वित्तीय संवर्ग (क्रम सं0 1 से 17); वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्ग (क्रम सं0 18 से 21);और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विशेषज्ञ सेवा संवर्ग (क्रम सं0 22 से 32)।

(ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 से 13 तक के पद आवश्यकता और पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और लिखित कारणों से संवर्गों और स्तरों के साझे पूल के रूप में प्रचालित किए जा सकते हैं।

(ग) भारत के खाद्य प्राधिकरण में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों का कैडर प्रबंधन खाद्य प्राधिकरण के मुख्यालय में केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा।

(घ) समूह 'ग' के पदों का कैडर प्रबंधन, जब तक वह क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोगशालाओं को उनके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत पदों के संबंध में प्रत्यायोजित नहीं कर दिया जाता, मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

(ङ) पदों का वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन स्तर वही होगा, जो इन विनियमों की अनुसूची में विहित है।

6. खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति की सामान्य शर्तें.-

उप-विनियम (1) से (6) में विहित सामान्य शर्तें खाद्य प्राधिकरण में सभी नियुक्तियों पर लागू होंगी।

(1) खाद्य प्राधिकरण नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(2) इन विनियमों की कोई बात इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य छूटों को प्रभावित नहीं करेगी।

(3) कोई ऐसा व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा(गी), जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो। खाद्य प्राधिकरण के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार के लिए अनुसूची में विहित कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक वह –

(क) भारत का(की) नागरिक न हो;

(ख) सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता की किसी अन्य श्रेणी में शामिल न हो:

परंतु यदि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो तो उसे नागरिकता की अन्य श्रेणी में माना जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा,-

(क) यदि उसका नैतिक आचरण अच्छा न हो और उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो;

(ख) यदि उसे नैतिक अधमता के कारण दुराचरण के आधार पर किसी सरकारी या सार्वजनिक उद्यम या प्राइवेट सेवा या अन्य किसी संगठन से पदच्युत किया गया हो या सेवा से निकाल दिया गया हो या अनिवार्य सेवा-निवृत्त कर दिया गया हो।

(6) (क) कोई वह व्यक्ति,-

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, जिसके पहले ही एक पति/पत्नी हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो,

नियुक्ति का(की) पात्र नहीं होगा(गी)।

IndiaCode

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में विवाह संबंधी घोषणा करनी होगी।

परंतु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक विधि के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उसे इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

7.नियुक्ति के लिए छूट.- इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी फीडर ग्रेड के अधिकारियों के पदोन्नति के लिए पात्र होने तक प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या संविदा के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है और उच्च स्तर के पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उन पदों को निम्न स्तर के पदों से प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या संविदा के आधार पर,जैसी भी स्थिति हो,अंतरिम उपाय के रूप में प्रचालित कर सकता है।

8. भर्ती के मानदंड.-

(1) पदों पर भर्ती की पद्धति, वेतन स्तर, आयु सीमा, योग्यता और उससे संबद्ध अन्य मामले अनुसूची में यथाविहित प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(2) भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और चंबा जिले के पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) विज्ञापित पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख होगी।

9. उम्मीदवारों की चयन सूची.- चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित उम्मीदवारों की मेरिट के अनुसार एक सूची रिजर्व सूची के साथ तैयार की जाएगी, जो एक वर्ष या ऐसी बढ़ी हुई अवधि, जिसे सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, के लिए वैध रहेगी।

10. उम्मीदवारों का चयन.-

(क) उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव चयन सूची में दी गई मेरिट के क्रम से जारी किए जाएँगे, जिनमें उम्मीदवार को कार्य-ग्रहण करने की कोई समय-सीमा दी जाएगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अनुसार बढ़ाया जा सकता है;

(ख) नियुक्ति प्रस्ताव के पत्र में उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों का उल्लेख होगा;

(ग) उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति से पूर्व पूरी की जाने वाली कोई शर्त पूरी न करने या उस द्वारा निर्दिष्ट समय में कार्य-ग्रहण न करने पर सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले सकता है;

(घ) सीधी भर्ती की सभी नियुक्तियाँ चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापान के अध्यधीन होंगी;

(ङ) ऊपर खंड (ग) के अनुसार किसी नियुक्ति प्रस्ताव के वापस लिए जाने पर सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार चयन सूची में मेरिट के अनुसार उससे अगले उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी कर सकता है।

IndiaCode

(च) नियुक्त कर्मचारियों को भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करनी होगी।

(छ) प्रत्येक उम्मीदवार अपनी नियुक्ति से पूर्व शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का संख्यांक 19) के अंतर्गत शपथ लेगा(गी)।

11. सीधी भर्ती.-

(1) (क) भरी जाने वाली रिक्तियों को सरकारी निर्देशों के अनुसार व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाएगा;

(ख) विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक प्राप्त न हुए आवेदन या निर्धारित शर्तें पूरी न करने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द किया जा सकेगा:
परंतु सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है।

(2) इन विनियमों की अनुसूची और अन्य उपबंधों में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीधी भर्ती के पात्र होंगे। सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार, जहाँ वाँछनीय हो, यह भी निर्धारित करेगा कि क्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों प्रक्रिया के अंग होंगे।

(3) सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेक के अनुसार,चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल बना सकता है। यदि नामों का ऐसा कोई पैनल बनाया जाए और रखा जाए तो वह उसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वैध होगा या ऐसी बढ़ी हुई अवधि, जिसे सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करें, के लिए वैध रहेगी।

(4) किसी विभागीय उम्मीदवार के सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्ति के मामले में वह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

(5) खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन से इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को खाद्य प्राधिकरण की सेवा में संविदा पर नियोजित सभी व्यक्तियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है और उन्हें खाद्य प्राधिकरण के काम में नियोजन के लिए वरीयता दी जा सकती है।

12. आमेलन :-

(1) केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं के उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर आमेलन के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है:

(क) उम्मीदवार अनुसूची में विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव रखता(ती) हो; और

(ख) उम्मीदवार आवेदित पद के समकक्ष पद पर हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर उचित आदेश द्वारा, खाद्य प्राधिकरण में पहले ही प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी व्यक्ति को, नीचे उप-विनियम (3) में दी गई प्रक्रिया अपना कर, इन भर्ती विनियमों की अधिसूचना की तारीख को प्राधिकरण में पहले ही प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उसके खंड 3(घ) को छोड़कर, स्थायी रूप से समामेलित कर सकता है:

परंतु कोई व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में समामेलित नहीं किया जाएगा जब तक वह -

(क) खाद्य प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलन के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा लिखित में विकल्प मांगने पर वह विकल्प लिखित रूप में न दे दे, और

IndiaCode

(ख) वह इन विनियमों की अनुसूची में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव न रखता हो और उसने खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऊपर उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के आमेलन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कर सकता है,-

(क) चयन समिति की सिफारिश पर और ऐसे व्यक्ति की खाद्य प्राधिकरण में उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए;

(ख) ऐसे व्यक्ति के मूल कार्यालय से परामर्श करके;

(ग) ऐसे व्यक्ति को खाद्य प्राधिकरण में उसके मूल पद से त्याग-पत्र दिए जाने और उसे उसके मूल संगठन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद समामेलित किया जाए; और

(घ) आमेलन की ऐसी किसी संभावना का उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा।

13. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है),-

(1) खाद्य प्राधिकरण में इन विनियमों के अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित बाहरी सेवा शर्तोंपर प्रतिनियुक्ति पर की गई सभी नियुक्तियाँ पहली बार में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए होंगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, जो उम्मीदवार की कार्यकारिता के मूल्यांकन और उसके मूल विभाग से परामर्श से बढ़ाई जाएगी। अनुसूची में दिए गए पदों पर खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति तुरंत आमेलन के नियम से मुक्त है।

(2) केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं के उम्मीदवार इन विनियमों में विहित पद्धति से और निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं, अर्थात्,-

(i) अनुसूची में यथाविहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों, और

(ii) आवेदित पद के समकक्ष पद पर आसीन हो या प्रतिनियुक्ति के स्तर या उसके समकक्ष स्तर पर पदोन्नति के लिए निचले पद पर न्यूनतम वर्षों की अपेक्षित सेवा की हो।

(3) संवर्ग से इतर उन पदों को छोड़कर जिनके लिए वे पोषक प्रवर्ग अधिकारी न हों, पदोन्नति की सीधी लाइन में आने वाले विभागीय उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।

(4) किसी कर्मचारी के किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर ऐसे कर्मचारी की सेवा के निबंधन और शर्तें मौजूदा सरकारी नियमानुसार होंगे।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-

(1) अनुसूची में विहित पात्रता के मानदंड पूरे करने वाले नियमित कर्मचारियों की विभिन्न ग्रेडों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति रिक्ति होने पर और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उनकी वरिष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति की सीधी लाइन के अगले उच्च पद पर निचले या पोषक प्रवर्ग से की जाएगी। विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस विषय पर सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) वरिष्ठता का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा वरिष्ठता के सामान्य निर्देशों या सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। तथापि स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण से, ऐसे आमेलन से पूर्व अगले उच्च ग्रेड पर हुई पदोन्नति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. संविदा के आधार पर नियुक्ति.-

(1) सक्षम प्राधिकारी,भर्ती की सामान्य विधि से रिक्तियाँ न भर पाने पर अंतरिम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समकक्ष स्वीकृत पदों के लिए अपेक्षित प्रवेश योग्यताओं और अपेक्षित निबंधनों और शर्तों पर प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से विहित अवधि के लिए संविदा के आधार पर कर्मचारी नियुक्ति कर सकता है:

परंतु ऐसी नियुक्तियों की कुल संख्या स्वीकृत पदों की संख्या तक सीमित होंगी और स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पाँच प्रतिशत तक सीमित रहेंगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी खाद्य प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के संबंध में अपेक्षित निबंधनों और शर्तों पर प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से उन अन्य विषयों पर खुले बाजार से परामर्शदाताओं की सेवाएँ ले सकती है, जिनके लिए ऐसे विशेष कौशल और दक्षता की आवश्यकता हो जो इन विनियमों में उल्लिखित न हो। ऐसी नियुक्तियाँ स्वीकृत पदों के अतिरिक्त और उनसे इतर होंगी, परंतु किसी भी समय कुल स्वीकृत पदों के पाँच प्रतिशत से अधिक न होंगी।

(3) ऊपर उप-विनियम (1) और (2) के अंतर्गत परामार्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी और उनका ऐसी सेवा करने पर बाद में स्थायी नियुक्ति का कोई दावा नहीं बनेगा।

(4) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया और शर्तें मोटे तौर पर इन विनियमों के अनुसार होंगी और हर मामले में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी।

(5) जिन पदों पर अधिकारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो, उन पर धारणाधिकार रखने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

16. चयन.-

(1) पदों पर नियुक्ति अनुसूची में विहित चयन समितियों के माध्यम से की जाएगी।

(2) चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा। पैनल से एक वर्ष के अंदर कोई चयन न किए जाने पर नया पैनल बनाने के लिए नई चयन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसी समिति पिछले पैनल में शामिल व्यक्तियों के नामों पर भी विचार कर सकती है।

(3) इस प्रक्रिया से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव अनुसूची में विहित प्रावधान के अनुसार होंगे, परंतु अत्यधिक विशेषज्ञीकृत क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों के मामलों में अनुभव की न्यूनतम अवधि में छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि चयन समिति ऐसा लिखित में रिकॉर्ड करे। छूट का प्रावधान रिक्ति के परिपत्र या विज्ञापन में शामिल किया जाएगा।

17. छूट देने की शक्ति.- इन विनियमों के किसी उपबंध में छूट देने की शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होगी।

18. व्याख्या.- इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठ जाने पर उसे केंद्रीय सरकार को जाँच के लिए भेजा जाएगा और केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

IndiaCode

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गी-करण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंके लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिया आमेलन किया जाएगा	विभागीय प्रोन्नति समिति होने पर उसकी संरचना	वे स्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. कार्य कारी निदेशक	"2* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 14 (रु. 1,44,200-2,18,200)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारोंया विश्वविद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंया अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 13 या समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद मूल श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जिन्हेंप्रशासन,वित्त या/औरसतर्कता मामलों का दसवर्षों का अनुभव हो।	खोज-सह-चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अध्यक्ष,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण – सदस्य (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।
2.	"2*	साधारण	वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केंद्रीय सरकार या राज्य	खोज-सह-चयन समिति जिसमें	लागू नहीं

IndiaCode

सलाहकार	(2018)"	केंद्रीय सेवा, समूह क, अनतु-सचिवीय	स्तर 14 (1,44,200-2,18,200)	होता।	होता।		होता।	होता।		सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारोंया विश्वविद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 13या समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जो किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी या कृषि या बागवानी विज्ञान या औद्योगिक सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष विज्ञान या जन स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	निम्नलिखित होंगे:- (i)अध्यक्ष,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (iv)अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	होता।

IndiaCode

										या किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो। **या** खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्यप्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या औषध या पशु चिकित्सा विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातक उपाधि (जो चार वर्ष से कम की अवधि की न हो); और **(iv)** खाद्य विज्ञान या मानक या सुरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्था या वैज्ञानिक संगठन में अनुसंधान और विकास कार्य का कम से कम 18 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम नौवर्षों का		

IndiaCode

										अनुभव पर्यवेक्षी पद पर हो; **या** उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट उपाधि तथा इस पैरा में ऊपर वर्णित क्षेत्रों में प्रयोगशालाओंया अनुसंधान संस्थाओं या वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का पंद्रह वर्षों का अनुभव तथा इन पंद्रह वर्षों में से कम से कम आठ वर्षों का अनुभवपर्यवेक्षी पद पर हो;और **(v)** संबंधित क्षेत्र में उच्च स्तर का प्रकाशित अनुसंधान कार्य।		
3. निदेशक	"16*(2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 13 (1,23,100-2,15,900)	चयन	50 वर्ष	**(क)(i)**मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि; और **(ii)**पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता का कार्य देखने का पंद्रह वर्षों का अनुभव। **वांछनीय:** मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि की उपाधि या एम.बी.ए की	नहीं	एक वर्ष	(i) 60%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा	**(क)प्रोन्नति के लिए:** स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200) में संयुक्त निदेशक,श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (v) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षाऔर मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						उपाधि या समतुल्य योग्यता। **या** **(ख)(i)** मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकीया जैव रासायनिकीया खाद्य प्रौद्योगिकीया खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीया खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञानया डेयरी प्रौद्योगिकीया कृषि या बागवानी विज्ञानया औद्योगिक सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष विज्ञान या जन स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर				कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्व- विद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारित किए हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 12 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।	विशेषज्ञ – सदस्य	

IndiaCode

						अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि **या** किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो। **या** खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्यप्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल और						

IndiaCode

						वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या औषध या पशु चिकित्सा विज्ञानया मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातक उपाधि (जो चार वर्ष से कम की अवधि की न हो); और **ख (ii)** खाद्य विज्ञान या मानक या सुरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्था या वैज्ञानिक संगठन में अनुसंधान और विकास कार्य का कम से कम 14 वर्षों का अनुभव,जिसमें से कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर या पर्यवेक्षी पद पर हो और						

IndiaCode

						आयोजन, विकास और समन्वयन कार्य-क्षेत्र वाले खाद्य विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों में कार्य किया हो; **या** **(ग)(i)** उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञानया मानकया सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओंया अनुसंधान संस्थाओं या वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का बारह वर्षों का अनुभव तथा इन बारह वर्षों में से कम से कम पाँचवर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर या पर्यवेक्षी पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें						

IndiaCode

						आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और **(ग)(ii)** संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान कार्य। **टिप्पण 1:** वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख						

IndiaCode

						किया जाएगा। **टिप्पण 2:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3**: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने						

IndiaCode

						विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण 4:** उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मकआवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।						
4.संयुक्त निदेशक	"32* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200)	चयन	50 वर्ष	**(क)(i)**मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि; और **(ii)**पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता का कार्य देखने का बारह वर्षों का अनुभव। **वांछनीय:** मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एम.बी.ए की उपाधि या समतुल्य	नहीं	1 वर्ष	(i) 60%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा	**(क)प्रोन्नति के लिए:** स्तर11 (रु. 67,700-2,08,700) में उप निदेशक,श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा। **(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)या आमेलन के लिए:** **टिप्पण 1**: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या	चयन समिति जिसमेंनिम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						योग्यता। **या** **(ख)**मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि के क्षेत्र में स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा किसी प्रतिष्ठित सरकारीया स्वायत शासीया अनुसंधान संस्थानया विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंया विधिक कंपनी में विधिक मामले देखने या विधि अधिकारी के रूप में बारह वर्षों का अनुभव। **या** **(ग)(i)**मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या				पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हुआ हो;या (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 11 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।		

IndiaCode

						खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकीया कृषि या बागवानी विज्ञानया औद्योगिक सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष विज्ञान या जन स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि **या** किसी मान्यता-प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और						

IndiaCode

						गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो। **या** खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्यप्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या औषध या पशु चिकित्सा विज्ञानया मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी						

IndiaCode

						अन्य विषय में स्नातक उपाधि (जो चार वर्ष से कम की अवधि की न हो)। **ग(ii)** खाद्य विज्ञान या मानक या सुरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्था या वैज्ञानिक संगठन में अनुसंधान और विकास कार्य का कम से कम ग्यारह वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर या पर्यवेक्षी पद पर हो और खाद्य विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों में कार्य किया हो,जिनमें आयोजन, विकास और समन्वयन कार्य शामिल हो; **या**						

IndiaCode

						(घ)(i) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञानया मानकया सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओंया अनुसंधान संस्थाओं या वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का नौ वर्षों का अनुभव तथा इन नौ वर्षों में से कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर या पर्यवेक्षी पद पर हो और खाद्य विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों में कार्य किया हो, जिनमें आयोजन, विकास और समन्वयन कार्य शामिल हो; और (i) संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान कार्य। **टिप्पण 1**:						

IndiaCode

						वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। **टिप्पण 2:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3:** चयन						

IndiaCode

						के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण 4:** उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन						

IndiaCode

						में हर बार किया जाएगा।						

5. उप निदेशक	"44* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 11 (रु. 67,700-2,08, 700)	चयन	40 वर्ष	(क)(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता का कार्य देखने का दस वर्षों का अनुभव। **वांछनीय**: मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एम.बी.ए की उपाधि या समतुल्य योग्यता। **या** **(ख)**मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा किसी प्रतिष्ठित सरकारी या स्वायतशासी या अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विधिक कंपनी में विधिक मामले देखने या विधि अधिकारी के रूप में कार्य का छह वर्षों का अनुभव। **या** **(ग)(i)**मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी या कृषि या	नहीं	दोवर्ष	(i) 60%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा	**(क)प्रोन्नति के लिए:** स्तर10 (रु. 56,100-1,77,500) में सहायक निदेशकया सहायक निदेशक (तकनीकी)या खाद्य विश्लेषकश्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1**: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनके ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा प्राप्त कर लेने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						बागवानी विज्ञान या औद्योगिक सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष विज्ञान या जन स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि **या** किसी मान्यता-प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो। **या** खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या औषध या पशु चिकित्सा विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातक उपाधि (जो				पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारोंया विश्विद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 10या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक		

IndiaCode

						चार वर्ष से कम की अवधि की न हो); और **ग(ii)** खाद्य विज्ञान या मानक या सुरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्था या वैज्ञानिक संगठन में अनुसंधान और विकास कार्य का कम से कम नौ वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम चार वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर या पर्यवेक्षी पद पर हो और खाद्य विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों में कार्य किया हो, जिनमें आयोजन, विकास और समन्वयन कार्य शामिल हो; **या** **(घ)(i)** उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञान या मानक या सुरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्था या वैज्ञानिक संगठन में कार्य का सात वर्षों का अनुभव तथा इन सात वर्षों में से कम से कम चार वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर या पर्यवेक्षी पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों में कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और				अर्हताएँ रखते हों।		

IndiaCode

						(घ)(ii)संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान कार्य। **वांछनीय :** स्नातक अभिक्षमता परीक्षण इंजीनियरी या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा **टिप्पण 1**: वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। **टिप्पण 2**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3:** चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित						

IndiaCode

						जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण 4:** उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।						
6. सहायक निदेशक	"22* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56, 100-1,77, 500)	चयन	35 वर्ष	(क)किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता का कार्य देखने का 6 वर्षों का अनुभव। **वांछनीय**: मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एम.बी.ए की उपाधि। **या** **(ख)**मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि स्नातक की उपाधि तथा किसी प्रतिष्ठित सरकारी या स्वायत शासीया अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विधिक कंपनी में विधिक मामले	नहीं	2 वर्ष	(i) 50%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा। (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा	**(क)प्रोन्नति के लिए:** स्तर8 (रु. 47,600-1,51,100) में प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 2 वर्ष की सेवाकी हो। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य	लागू नहीं होता।

						देखने या विधि अधिकारी के रूप में कार्य का तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1**: वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। **टिप्पण 2**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3:** चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव				से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)या आमेलन के लिए**: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदो वर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii)जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद	(iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

IndiaCode

						संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण 4:** उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।				पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।		
7. प्रशासनिक अधिकारी	"25* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 8 (रु. 47,600-1,51,100)	चयन	30 वर्ष	(क)किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालययया संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता का कार्य देखने का तीनवर्षों का अनुभव। **वांछनीय:** मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि या एमबीए (कार्मिक,मानव संसाधान प्रबंधन या वित्त) में एम.बी.ए उपाधिया सनदी लेखाकार या कंपनी सेक्रेटरी या आईसीडब्ल्यूए। **टिप्पण 1**: वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत	नहीं	2 वर्ष	(i) 90%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 10% सीधी भर्ती द्वारा	**(क)प्रोन्नति के लिए:** स्तर6 (रु. 35,400-1,12,400) में सहायक की श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ –	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। **टिप्पण 2:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3:** चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण 4:** उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मकआवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।				सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंछह वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती	सदस्य	

IndiaCode

										के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।		
8. सहायक	"76* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 6 (रु. 35,400-1,12, 400)	चयन	30 वर्ष	किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालयया संस्था से स्नातक की उपाधि; **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।	नहीं	2 वर्ष	(i) 10%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 90% सीधी भर्ती द्वारा	**(क)प्रोन्नति के लिए:** स्तर4(रु. 25,500-81,100) में कनिष्ठ सहायक (श्रेणी -1) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयोंया मान्यता-	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

										प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 4 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदस वर्ष की नियमित सेवा की हो;और (iii) जिन्हें पद की अपेक्षा के अनुसार प्रशासन, मानव संसाधान विकास,या या और सतर्कता संबंधी मामलों में तीन वर्षों का अनुभव हो। (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखता हो।		
9. कनिष्ठ सहायक (श्रेणी -1)	"12* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 04 (रु. 25,500-81,100)	चयन	25 वर्ष	किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयसे बारहवीं पास; **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।	नहीं	2 वर्ष	(i) 10%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 90% सीधी	**प्रोन्नति के लिए:** स्तर 2 (रु.19,900-63,200) में कनिष्ठ सहायकश्रेणी -II के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और	लागू नहीं होता।

IndiaCode

									भर्ती द्वारा	पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) उपनिदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
10. कनिष्ठ सहायक (श्रेणी -2)	"12* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 02 (रु. 19,900-63,200)	गैर-चयन	लागू नहीं होता।	किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयसे बारहवीं पास।	नहीं	लागू नहीं होता	(i) 100%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए:** स्तर1(रु. 18,000-56,900) में बहु-कार्य स्टाफ के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) उपनिदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक	लागू नहीं होता।

										या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
11. सहायक निदेशक (राजभाषा)	"1* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क,अननुसचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56,100-1,77,500)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं	2 वर्ष	100%,प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए:** स्तर6(रु. 35,400-1,12,400) में हिंदी अनुवादक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ –	लागू नहीं होता।

IndiaCode

										पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)या आमेलन के लिए**: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या उसके समतुल्य पद पर	सदस्य	

IndiaCode

										नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंआठवर्ष की नियमित सेवा की हो;और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:- डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि; **या** डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; **या** डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; **या** डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि;		

IndiaCode

										या डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषयों के रूप में रखते हुए या इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी अनिवार्य या चयनित विषय के रूप में रखते हुए हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय में किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि; और (ii) केंद्रीयया राज्य सरकारया स्वायतशासी संस्थाया कानूनी संगठनया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमया विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त शैक्षिक संस्था मेंहिंदी शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) के उपयोगया अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी में या इसके विपरीत अनुवाद कार्य, अधिमानत: तकनीकी और वैज्ञानिक अनुवाद कार्य, का तीन वर्षों का अनुभव। **या** केंद्रीयया राज्य सरकारया स्वायतशासी संस्थाया कानूनी संगठनया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंया विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं में हिंदी और अंग्रेजी अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्षों का अनुभव।		
12. हिंदी अनुवादक	"3* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा,समूह	वेतन स्तर 06	लागू नहीं होता।	30 वर्ष	डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए	लागू नहीं होता।	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

IndiaCode

		'ख', अननुसचिवीय	(रु. 35,400- 1,12,400)			किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि; **या** डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; **या** डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; **या** डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; **या** डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषयों के रूप में रखते हुए या इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी अनिवार्य या चयनित विषय के रूप में रखते हुए हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय में किसी					(i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

IndiaCode

						मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि; **और** हिंदी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवाद का मान्यता-प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2**: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।						
13. वरिष्ठ निजी सचिव	"7* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख अननुसचिवीय	वेतन स्तर 08 (रु. 47,600-1,51,100)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत	**प्रोन्नति के लिए:** स्तर 7 (रु. 44,900-1,42,400) में निजी सचिव के	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और	लागू नहीं होता।

IndiaCode

									अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा	रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1**: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनके ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर लेने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2**: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य	मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

IndiaCode

										सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्विद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में2 वर्ष की नियमित सेवा की हो।		
14. निजी सचिव	"17* (2018)"	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं	लागू नहीं होता।	100%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए:** स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400) में निजी सहायक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1**: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनके ग्रेड या पद पर विहित अर्हता सेवा पूरी कर लेने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2:** अर्हकया पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा	लागू नहीं होता।

IndiaCode

										सेवा अपेक्षित अर्हकया पात्रता सेवा के आधे से अधिक,या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो **(ख) प्रतिनियुक्ति के लिए जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
15. निजी सहायक	"39* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख अनतु-सचिवीय	वेतन स्तर 06 (रु. 35,400-1,12,400)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष	(i) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालययया संस्था से स्नातक की उपाधि तथा आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट और/या	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण–	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति की दक्षता। (ii) कंप्यूटर-साक्षर हो तथा एमएस ऑफिस और इंटरनेट इत्यादि पर कार्य करने में दक्ष हो। **वांछनीय**: किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्था से कार्यालय प्रबंधन और सचिवालयी प्रक्रिया में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र। **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।					अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
16. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	"3* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 02 (रु. 19,900-63,200)	लागू नहीं होता।	25 वर्ष	(i) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविग लाइसेंसधारी; (ii) मोटर कार्य-प्रणाली का ज्ञान (उम्मीदवार वाहन में छोटी-मोटी खराबियाँ दूर करने में सक्षम हो) (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव;और (iv) दसवीं कक्षा पास। **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति या आमेलन: किसी भी सरकारी संगठन से वेतन स्तर-1 में उन नियमित स्टाफ कार ड्राइवरों में से जो स्तंभ 7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएँ रखते हों।	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) उप निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य	लागू नहीं होता

						सकती है। **टिप्पण 2:** चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।					(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
17. बहु-कार्य स्टाफ (एम.टी.एस.)	"50* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 01 (रु. 18,000-56,900)	लागू नहीं होता।	25 वर्ष	मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य। टिप्पण : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।		दोवर्ष	100%सीधी भर्ती द्वारा	नहीं	चयन समिति में निम्न-लिखित होंगे:- (i) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकण– अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकण– सदस्य (iii) उप निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक	लागू नहीं होता।

IndiaCode

											बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

18. सहायक निदेशक (तकनीकी)	"60* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क, अनतु-सचिवीय	वेतर स्तर 10 (रु. 56,100-1,77,500)	चयन	35 वर्ष	मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी या कृषि या बागवानी विज्ञान या औद्योगिक सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष विज्ञान या जन स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। **या** किसी मान्यता-प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो।	नहीं	2 वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति के लिए:** स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा वाले तकनीकी अधिकारियों में से 80%;**और** स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा वाले केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में से 20%; **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड या पद पर विहित योग्यता पूरी कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						या खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या औषध या पशु चिकित्सा विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातक उपाधि (जो चार वर्ष से कम की अवधि की न हो)। **वांछनीय योग्यता**: उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट उपाधि। **और** **(ii)** संबंधित क्षेत्र का पाँच वर्षों का अनुभव **वांछनीय:** गेट या सीएसआईआर/ आईसीएआर नेट **टिप्पण 1**:वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में				अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **(ख) प्रतिनियुक्ति के लिए (अल्पकालिक अनुबंध या आमेलन सहित)** : केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या		

IndiaCode

						कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसकाविज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। **टिप्पण 2**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण3**: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।				विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 3वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 8वर्ष की नियमित सेवा की हो। **(ख)** जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ रखते हों।		
19. खाद्य विश्लेषक	"10* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क, अननु सचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56,100-1,77,500)	लागू नहीं होता।	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी,खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि या डेयरी या तेल प्रौद्योगिकी में बी.टेक उपाधि या	नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii)	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि या इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) द्वारा संचालित खाद्य विश्लेषक खंड में परीक्षा देकर इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) के एसोशिएट या ऐसे प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त और अधिसूचित अन्य कोई समतुल्य योग्यता तथा खाद्य विश्लेषण का अन्यून तीन वर्षों का अनुभव; और (ii) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित बोर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में योग्य घोषित हो। **वांछनीय:** गेट या सीएसआईआर/ आईसीएआर नेट **टिप्पण 1:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के					सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

IndiaCode

						लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।						
20. तकनीकी अधिकारी	"255* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख अननु सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900-1,42,400) तकनीकी अधिकारियों को तीन वर्ष और छह वर्ष पूरे कर लेने पर सतर्कता अनुमति मिलने के पश्चात क्रमश: वेतन स्तर 8 और 9 में गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन दि या जा सकता है।	लागू नहीं होता।	30 वर्ष	मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी या कृषि या बागवानी विज्ञान या औद्योगिक सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष विज्ञान या जन स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। **<u>या</u>** किसी मान्यता-प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो। **या** खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव	नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में बी.ई/ बी.टेक **या** औषध या पशु चिकित्सा विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातक उपाधि (जो चार वर्ष से कम की अवधि की न हो)। **वांछनीय:** गेट या सीएसआईआर/ आईसीएआर नेट **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।						
21. केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी	"74* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख, अननु सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900-1,42,400) केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तीन वर्ष और छह वर्ष पूरे कर लेने पर सतर्कता अनुमति मिलने के पश्चात	लागू नहीं होता।	30 वर्ष	(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रासायनिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान में स्नातक उपाधि या रासायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या औषध में स्नातक उपाधि, या	नहीं	दो वर्ष (परिवीक्षा अवधि के दौरान सीधी भर्ती के अधिकारियों को पक्का होने के लिए किसी मान्यता-प्राप्त संस्था या इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था से खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित प्रशिक्षण	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय	लागू नहीं होता।

IndiaCode

			क्रमश: वेतन स्तर 8 और 9 में गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन दिया जा सकता है।			(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई समतुल्य या मान्यता-प्रदत्त योग्यता। **वांछनीय:** गेट या सीएसआईआर/ आईसीएआर नेट **टिप्पण 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।		सफलतापूर्वक पूरा करना होगा)			खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणद्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

सूचना प्रौद्योगिकी और विशेषित संवर्ग

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	विभागीय प्रोन्नति समिति होने पर उसकी संरचना	वे स्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22. मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	"1*(2018)"	साधारण केंद्रीय	वेतन स्तर 13 (1,23, 100-	लागू नहीं	50 वर्ष	(i)किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	100% सीधी भर्ती	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं

		सेवा, समूह क, अननु सचिवीय	2,15, 900) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. (1,60,000-2,58,300) की रेंज में समेकित पारिश्रमिक	होता।		इंजीनियरी के किसी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि (ii)सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम सोलह वर्षों के कार्य का अनुभव,जिसमें से कम से दस वर्षों का अनुभव बड़े एप्लीकेशन के विकास में हो, (iii)सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव **टिप्पण 1:**अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित					(i)अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष (ii)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण – सदस्य (iii)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (iv)अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	होता।

IndiaCode

						जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।						
23.वरिष्ठ प्रबंधक (सूचनाप्रौद्योगिकी)	"2* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 12 (रु.78,800-2,09,200) याअनुभव के वर्षों के आधार पर रु.1,10,000-रु.2,75,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	50वर्ष	(i)कंप्यूटर विज्ञान में या किसी अन्य इंजीनियरी विषय में बी.टेक या एम.टेक या एमसीए या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। (ii) कुल दस वर्षों का अनुभव (iii) संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव। **टिप्पण1** :वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय	लागू नहीं होता	एकवर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा25%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित) या आमेलन द्वारा। (ii) सीधी भर्ती द्वारा 75%	**प्रोन्नति के लिए**: स्तर 11 (रु. 67,700-2,08,700) में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा वाले प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)। **टिप्पण 1**: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी -अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख कि या जाएगा। **टिप्पण2** :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3** : चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास				विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों	(iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	

IndiaCode

						हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण4**: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।				की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या अर्ध सरकारी,वैधानिक या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी -: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 11 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ में 7 सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।		

IndiaCode

24. प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	"2* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 11 (रु.67,700-2,08,700) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.95,000-रु.2,70,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	40वर्ष	(i)कंप्यूटर विज्ञान में या किसी अन्य इंजीनियरी विषय में बी.टेक या एम.टेक या एमसीए या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। (ii) कुल आठ वर्षों का अनुभव (iii) संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्षोंका अनुभव। **टिप्पण 1** :वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा	लागू नहीं होता।	दोवर्ष	100% प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित) या आमेलन/संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए** : स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा वाले उप प्रबंधक (सूचनाप्रौद्योगिकी) । **टिप्पण 1** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा,परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख कि या जाएगा। **टिप्पण 2** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3** : चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव				कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी -: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत		

IndiaCode

						संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण 4** : उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।				हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ में सीधी भर्ती 7 के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएं रखते हों।		
25.उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	"4* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु.56,100-1,77,500) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. 80,000-रु.2,34,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	35वर्ष	(i)कंप्यूटर विज्ञान में या किसी अन्य इंजीनियरी विषय में बी.टेक या एम.टेक या एमसीए या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। (ii) कुल छह वर्षों का अनुभव (iii) संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीनवर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1** :वांछित कुल अनुभव में से	लागू नहीं होता।	दोवर्ष	100% प्रोन्नतिद्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित) या आमेलन या अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए** : स्तर 7(रु. 44,900-1,42,400) में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर तीन वर्षों की सेवा वाले उप सहायक प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)। **टिप्पण 1** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य (iii) मुख्य तकनीकी	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख कि या जाएगा। **टिप्पण 2** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण3** : चयन के किसी स्तर पर				अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन के**	अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) अध्यक्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	

IndiaCode

						सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण 4:** उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर				**लिए**: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी -: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक		

IndiaCode

						बार कि या जाएगा।				योग्यताएँ रखते हों।		
26.सहायक प्रबंधक (सूचनाप्रौद्योगिकी)	"10* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख अननुसचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु.44,900-1,42,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.60,000-रु.1,86,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	30वर्ष	(i) कंप्यूटर विज्ञान में या किसी अन्य इंजीनियरी विषय में बी.टेक या एम.टेक या एमसीए या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। (ii) कुल पाँच वर्षों का अनुभव (iii) संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीनवर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1** : वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का	लागू नहीं होता।	2 वर्ष	95%सीधी भर्ती द्वारा और5%प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित) या आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए** : स्तर 6(रु.35,400-1,124,00)में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा वाले सूचनाप्रौद्योगिकी सहायक। **टिप्पण 1** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i)कार्यकारीनिदेशक , भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii)निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य (iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख कि या जाएगा। **टिप्पण2** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण3** :चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं				उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या अर्ध सरकारी,वैधानिक या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी -: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार		

IndiaCode

						है,तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण4**: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।				परकार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ रखते हों।		
27.सूचनाप्रौद्योगिकीसहायक	''6* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग अननुसचिवीय	वेतन स्तर 06 (रु.35,400-1,12,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. 50,000-1,50,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं होता।	30वर्ष	(i) स्नातक **टिप्पण**:उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख	लागू नहीं होता।	दोवर्ष	100%सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) निदेशक-भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।					प्राधिकरण- सदस्य (iii) उप निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणसदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	
28.प्रधान प्रबंधक	"1* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 13 (रु.1,23,100-2,15,900) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.1,65,000-रु.2,80,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं होता।	50वर्ष	मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए **या** किसी मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री	लागू नहीं होता	1 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण -अध्यक्ष (ii)कार्यकारीनिदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						या डिप्लोमा। (ii) संबंधितक्षेत्र में सोलह वर्षों का अनुभव **टिप्पण1** :वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हों) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख कि या जाएगा। **टिप्पण2** :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में					(iv) स्वास्थ्य औरपरिवार कल्याण मंत्रालय से एक प्रतिनिधि-सदस्य (v) अध्यक्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	

IndiaCode

						योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3**: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण4**: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का						

IndiaCode

						बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।						
29. वरिष्ठ प्रबंधक	"2* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क अननुसचिवीय	वेतन स्तर 12 (रु.78,800-2,09,200) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.1,10,000-रु.2,75,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	50वर्ष	मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए **या** किसी मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (ii) संबंधित क्षेत्र में दस वर्षों का अनुभव **टिप्पण 1** :वांछित	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25% प्रोन्नतिद्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित)/आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए** : स्तर 11(रु. 67,700-2,08,700) में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा वाले प्रबंधक। **टिप्पण 1** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) निदेशक- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (iv) निदेशक,	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हों) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। **टिप्पण 2** :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3**: चयन के किसी स्तर पर				अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) या आमेलन के लिए** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (v) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	

IndiaCode

						सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण4**: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर				अधिकारी -: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 11 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ रखते हों।		

IndiaCode

						बार कि या जाएगा।						
30.प्रबंधक	"8* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क अननुसचिवीय	वेतन स्तर 11 (रु.67,700-2,08,700) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.95000-रु.270000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	35वर्ष	मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए **या** किसी मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। **या** किसी मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।	लागू नहीं होता।	दोवर्ष	i) 75% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25% **प्रोन्नति** द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए** : स्तर 10(रु. 56,100-1,77,500)में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा वाले उप प्रबंधक। **टिप्पण1** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) कार्यकारीनिदेशक, भारतीयखाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iv)अध्यक्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणद्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						(ii) संबंधित क्षेत्र में आठ वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1** :वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हों) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों,जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख कि या जाएगा। **टिप्पण 2** :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी				उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्तअनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी -: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद		

IndiaCode

						के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3**: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण4**: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक				पर नियमित आधार परकार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 10 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ रखते हों।		

IndiaCode

						आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।						
31.उप प्रबंधक	"16* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क अननुसचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु.56,100-1,77,500) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.80,000-रु.2,34,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	35वर्ष	क(i) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए **या** किसी मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। **या**	लागू नहीं होता।	दोवर्ष	i) 75% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25% **प्रोन्नति** द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति के लिए** : स्तर 7(रु. 44,900-1,42,400)में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा वाले सहायक प्रबंधक। **टिप्पण 1** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी- अध्यक्ष (ii) कार्यकारीनिदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणद्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं होता।

IndiaCode

						किसी मान्यता प्रदत्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) संबंधित क्षेत्र में छह वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1** :वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हों) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और				अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन के लिए:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे		

IndiaCode

						उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख कि या जाएगा। **टिप्पण 2** :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3**: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने				अधिकारी -: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ रखते हों।		

IndiaCode

						विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण4**: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।							
32.सहायकप्रबंधक	"8* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख अननुसचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु.44,900-1,42,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.60,000-रु.1,86,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं होता।	30वर्ष	क(i) मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए **या** (ii) किसी मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य	लागू नहीं होता।	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) कार्यकारीनिदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष (ii) निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii)मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं होता।	

IndiaCode

						या मनोविज्ञान या श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। **या** ख.(i) किसी मान्यता-प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि। (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायतशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में दो वर्षों का पेशेवर अनुभव। **टिप्पण 1** :वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक						

IndiaCode

						महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हों) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। **टिप्पण 2** :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 3**: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित						

IndiaCode

						जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है,तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **टिप्पण4**: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।						

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन.-III/4/Exty./243/18]

IndiaCode

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

No.12/01/2010-Admn.FSSAI.— Whereas certain draft of the Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2018 were published, as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India, No.F.No.12/01/2010-Admn.FSSAI, dated 7th February, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 dated 8th February, 2018 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of thirty days from the date of publications of the said regulations in the official Gazette;

And whereas, objections and suggestions received from public have been duly considered and suitable provisions have been incorporated to the extent admissible;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section 2 of section 92 read with sub-section (2) and (3) of section 9 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Authority, with the previous approval of the Central Government hereby makes following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

IndiaCode

1. Short title and commencement. -(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to posts specified in the Schedule annexed to these regulations.

2. Definitions.-

In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

(b) "Central Government" means the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;

(c) "Age" means the upper age limit as specified in the Schedule;

(d) "Appointing and Disciplinary Authority" in relation to any post under the Food Authority means, -

(i) the Chairperson of the Authority in respect of all Group 'A' posts of the level 14 (144200-218200) in the pay matrix; and above but does not include the Chief Executive Officer;
(ii) the Chief Executive Officer of the Authority in respect of all Group 'A' posts of the level less than 14(Rs.144200-218200) in the pay matrix;
(iii) the Executive Director of the Authority in respect of all Group 'B' posts; and
(iv) the Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters or Regional Offices or Laboratories of the Food Authority in respect of all sanctioned posts equivalent to Group 'C' under their respective jurisdiction;

(e) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Food Authority;

(f) "Candidate" means the person who is eligible for consideration against any of the posts specified in the Schedule of these regulations;

(g) "Contract employee" means an employee whose employment is on contract basis for a specific period;

(h)"Committee" means and includes Search cum Selection Committee, Departmental Promotion Committee, Screening or Expert Committee or Assessment Board as specified in the Schedule or specific provisions under these regulations;

(i)"Direct Appointment" means any appointment made by the Authority otherwise than by appointment by transfer on deputation including short term contract or on contractual basis in accordance with the provisions of the regulations notified by the Food Authority.

(j) "Deputation" means a method of recruitment where officers of Central Government Departments or State or UT Governments are appointed to post(s) in Food Safety and Standards Authority of India.

(k) "Probation" means a person appointed to any post shall be on probation for the period as specified in the schedule.

(l) "Recognised university or educational board" means any University or Board set up under any law of Central or State legislature in India, as the case may be, and recognised by the University Grants Commission or any institution so authorised by the Central and State Governments for the purpose;

(m) "Short-term contract" means the method of recruitment of officers belonging to non-government bodies, such as Universities, recognised research institutions, Public Sector Undertakings to the Food Authority for a specified period.

(n) "Departmental employees or candidates" means all persons appointed in the services of the Food Authority on a regular basis under these regulations and employees appointed under the provisions of section 3 of these regulations;

(o) words and expressions used in these regulations but not defined, shall have the meaning as respectively assigned to them in the Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006) and the rules or regulations made thereunder, the General Clauses Act, 1897(10 of 1897) or the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

Indiacode

CHAPTER II

CLASSIFICATION OF POSTS

3. Initial constitution. – All persons appointed in the service of the Food Authority on regular basis before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations and the service rendered by them shall be counted for the purpose of benefit of promotion and other service conditions.

4. Classification of Posts. - The posts in the Food Authority shall be classified as follows: -

Sl No.	Description.	Classification of posts.
1	Post of Level 10 in pay matrix or above	Group "A"
2	Post of Level 6 to Level 9 in pay matrix	Group "B"
3	Post of Level 1 to level 5 in pay matrix	Group "C"

IndiaCode

5. Post, Cadres, classification and scales of pay.-

(a) There shall be three Cadres in Food Safety and Standards Authority of India, namely, Administrative and Finance Cadre (Sr.No. 1 to 17); Scientific and Technical cadre (Sr.No.18 to 21); and I.T. and other Specialized Services Cadre (Sr.No. 22to 32).

(b) With the approval of the Competent Authority and for reasons to be recorded in writing, posts at levels 11 to 13 in pay matrix can be operated as a common pool across cadres and levels, based on the requirement and availability of eligible candidates.

(c) The Cadre management of all Group 'A' and Group 'B' posts in Food Authority of India shall be undertaken centrally at Headquarters of Food Authority .

(d) The cadre management of Group'C' posts shall be managed by Headquarters unless delegated to Regional Offices and Laboratories in respect of the posts under their respective jurisdiction.

(e) The classification of posts and the pay levels attached thereto shall be as specified in the Schedule to these regulations.

6. General conditions for appointment in the Food Authority. –

The general conditions specified in sub-regulations (1) to (6) shall apply to all appointments in the Food Authority.

(1) The Food Authority shall lay down the procedure for appointment.

(2) Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service of the Food Authority unless he or she has attained the age of eighteen years. There shall be no maximum age restriction for the departmental candidate for appointment to any post of the Food Authority under Direct Recruitment as specified in the Schedule.

(4) No person shall be qualified for appointment to the service of the Food Authority unless he or she is,-

(a) a citizen of India;

(b) is covered by any other category of citizenship notified by the Central Government as eligible for appointment to service under the Government:

Provided that a person shall be treated as other category of citizenship if a certificate of eligibility has been granted by the Government of India in such person's favour.

(5) No person shall be appointed to the service of the Food Authority unless he or she,-

(a) is a person bearing a good moral character and has not been convicted in the past for any offence;
(b) has been dismissed or removed or compulsorily retired from any Government or Public enterprise or private job or any other organisation on grounds of misconduct involving moral turpitude.

(6) (a) No person, -

(i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment;

(b) every person shall be required to furnish a marriage declaration in the prescribed format before his or her appointment:

Provided that the competent authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Relaxation in Appointment.-Notwithstanding anything contained in these regulations, the competent authority may approve appointment through deputation, short term contract, contract basis or as the case may be, till officers in feeder grade become eligible for promotion and may also operate higher level posts at lower level through deputation, short term contract, contract basis or as the case may be, as an interim measure, due to non-availability of suitable candidates at higher level posts.

IndiaCode

8. Recruitment Norms.-

(1) The method of recruitment to the posts, pay level, age limit, qualification and other matters connected thereto, shall be as specified in the Schedule.

(2) The closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahauland Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) shall be the date for determining the upper age limit of the advertised posts.

9. Select list of candidates.-On the recommendations of the Selection Committee, a select list of candidates in order of merit alongwith a reserve list shall be prepared, as accepted by the Competent Authority which shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the Competent Authority may specify.

10. Selection of candidates.-

(a) offer of appointment to the candidates or the select list shall be issued in the order of merit shown in the select list specifying a time limit within which the candidate must join service, which may be extended at the discretion of the Competent Authority;

(b) the letter of offer of appointment shall specify the conditions to be fulfilled by a candidate, prior to appointment;

(c) the competent authority may withdraw the offer of appointment if the selected candidate fails to fulfil any of the conditions prescribed prior to appointment or if the candidate fails to join service within the specified time;

(d) all appointments by direct recruitment shall be subject to verification of character and antecedents;

(e) where an offer of appointment is withdrawn in the manner prescribed in clause (c) above, the competent authority at its discretion may issue offer of appointment to the candidate next below in the order of merit in the select list.

(f) the employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

(g) every person shall take oath under the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) before his or her appointment.

11. Direct Recruitment. -

(1) (a) The vacancies which are to be filled up shall be widely advertised as per extant government instructions;

(b) Applications not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall be liable to be summarily rejected:

IndiaCode

Provided that the competent authority may extend the time given for receiving the applications.

(2) The candidates possessing the educational qualifications and experience as specified in the Schedule and other provisions under these regulations shall be eligible for direct recruitment through selection process. The competent authority may at its discretion, where it considers desirable, also stipulate whether written examination or interview or both to be a part of the selection process.

(3) The competent authority, at its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates as per recommendations of the Selection Committee. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the competent authority may specify from the date of its approval.

(4) If a departmental candidate is selected for appointment to any of the posts by Direct Recruitment, the post shall be considered to be filled by Direct Recruitment.

(5) With the approval of Food Authority, all persons on contract in the services of the Food Authority on the date of notification of these regulations may be permitted a relaxation in the upper age limit specified for direct recruitment and may be given weightage in selection for being engaged in the work of the Food Authority.

12. Absorption. -

(1) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be appointed on absorption basis subject to fulfilment of the following conditions: -

(a) the candidate possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule; and

(b) the candidate holds a post analogous to the post applied for.

(2) The competent authority may, from time to time, by appropriate order, permanently absorb any person already appointed on deputation in the Food Authority by following the procedure mentioned in sub-regulations (3) below, except clause (3)(d) thereof, for persons already on deputation to the Authority on the date of notification of these Recruitment Regulations:

Provided that no person shall be absorbed in the Food Authority unless, such person has,-

(a) given in writing his option to get permanently absorbed in the Food Authority, on being called to do so by the Food Authority, and
(b) possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule to these regulations and has completed at least two years on deputation in the Food Authority.

(3) The competent authority may consider for absorption of the persons referred to in sub-regulations (1) and (2) above,-

(a) on the recommendation of the Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Food Authority; and

(b) in consultation with the parent office of such person;

(c) such person shall be absorbed in the Food Authority after he has tendered resignation from his substantive post and accepted by his parent organisation.

(d) any such possibility of absorption shall be indicated in advertisement.

IndiaCode

13. Deputation (including Short Term Contract).-

(1) All appointments made on deputation on Foreign Service Terms including short term contract in the Food Authority under these regulations shall be for a period not exceeding three years in the first instance, which may be extended as per guidelines issued by the Government of India at the discretion of the Competent Authority which shall be based on the performance appraisal of the candidate and in consultation with the parent department. The deputation in the Food Authority on the posts as specified in the Schedule are exempted from rule of immediate absorption.

(2) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be taken on deputation including on short term contract in the manner as specified in these regulations and subject to fulfilment of the following conditions, namely:-

(i) possessing minimum educational qualifications and experience as specified in the Schedule, and

(ii) holding a post analogous to the post applied for or has put in minimum number of years of service rendered in the lower post required for promotion to the level of deputation post or its analogous post.

(3) The departmental candidates who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre posts for which they are not the feeder grade officers.

(4) If any employee proceeds on deputation to any Department or Organisation, the terms and conditions of service of such employee shall be governed under extant Government rules.

14. Appointment by Promotion.-

(1) Appointment of regular employees by promotion who fulfil the eligibility criteria as specified in the Schedule to different grades shall be made from the lower or feeder grades to the next higher post in direct line of promotion in the order of their seniority subject to availability of vacancy and on the recommendations of Departmental Promotion Committee which shall be constituted as per the extant instructions of the government on the subject.

(2) The fixation of seniority shall be in accordance with the general instructions or principles of seniority laid down by the Central Government and the fixation of seniority of a transferee shall not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption.

15. Contract appointment.-

IndiaCode

(1) The competent authority may appoint employees on contract basis for a specified period to meet interim requirements arising out of failure to fill vacancies through normal mode of recruitment, on entry qualification, as required for equivalent sanctioned posts and terms and conditions as required with the approval of Chairperson of the Authority:

Provided that the total number of such appointments shall be within the sanctioned posts and shall be restricted to five percent of the total number of sanctioned posts.

(2) The competent authority may hire services of Consultants from open market for such other disciplines related to the duties entrusted to the Food Authority, where special skills and competencies, not covered in these regulations, are required, on terms and conditions as may be required with the approval of Chairperson of the Authority. Such appointments shall be over and above the sanctioned posts, but shall not exceed at anytime five percent of the overall sanctioned posts.

(3) The consultants, under sub-regulation (1) and (2) above, shall be appointed on contract basis for a period not exceeding three years with no claims for subsequent permanent employment.

(4) Procedure and norms for selection of appointment of employees appointed on contract basis shall be broadly aligned to these regulations and may be decided in each case by the Chairperson of the Authority.

(5)There shall be no provision for lien against the post in which officers have been appointed on contract basis.

IndiaCode

16. Selection. –

(1) Appointment to the posts shall be made through Selection Committees as specified in the Schedule.

(2) The panel recommended by the Selection committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, a fresh Selection committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such a committee may also consider the names of the persons in the earlier panel.

(3) The minimum educational qualifications and experience for candidates recruited through this process shall be as specified in the Schedule, but the minimum period of experience may be relaxed in the case of candidates possessing expertise in highly specialised disciplines, provided it is so recorded in writing by the Selection Committee. The provision of relaxation shall be incorporated in the vacancy circular or advertisement.

17. Power of relaxation. -The power to relax any of the provisions of these regulations shall lie with the Central Government.

18. Interpretation. -If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it will be referred to the Central Government for examination and the decision of the Central Government shall be final.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification of post	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Executive Director	"2*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 14 (Rs.1,44,200-2,18,200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation	Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or	Search- cum-Selection Committee shall comprise of: - (i) Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman (ii) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India- Member	Not applicable

IndiaCode

										departments ; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 13 or equivalent in the parent cadre or department ; and (iii) Having ten years experience of administration, finance or/ and vigilance matters.	(iii) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	
2. Advisor	"2*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 14 (Rs.1,44,200-2,18,200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation	Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations: (i) Holding	Search- cum-Selection Committee shall comprise of:- (i) Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman (ii) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards	Not applicable

IndiaCode

										analogous post on regular basis in the parent cadre or departments ; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 13 or equivalent in the parent cadre or department ; and (iii) Possessing "Master Degree from a recognized University or Institution in Chemistry or Biochemistry or Food Technology or Food Science & Technology or Food & Nutrition or Edible Oil Technology or Microbiology or Dairy Technology or Agricultural or horticultural Sciences or Industrial Microbiology or Toxicology or Public Health or Life Science or Biotechnology or	(iii) Authority of India - Member One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India Authority - Member.	

IndiaCode

										Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or any other subject as approved by Food Authority from time to time OR PG Diploma of at least one year duration from a recognized University or Institution in Food Safety and Quality Assurance (under appropriate nomenclature) and approved by the Food Authority from time to time OR BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality		

IndiaCode

										Assurance or Bachelor's degree (not less than four years duration) in Medicine or Veterinary sciences or Fisheries or Animal Sciences or any other subject as approved by Food Authority from time to time; and (iv) with eighteen years experience of working in research and development in Laboratories or Research Institutions or Scientific Organisations in the field of food science or standards or safety and out of the aforesaid eighteen years at least nine years should be in a supervisory capacity; or Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with fifteen years working experience in the Laboratories or research institutions or scientific organisations in the		

IndiaCode

										fields mentioned above in this para and out of fifteen years at least eight years should be in a supervisory capacity; and (v) Published research work of high standards in related field.		
3. Director	"16*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900)	Selection	50 Years	(a) (i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institution; and (ii) Fifteen Years experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement. Desirable: Degree of Law or MBA degree or equivalent from a recognised university or Institution OR (b)(i) "Master Degree from a recognized University or Institution in Chemistry or Biochemistry or Food Technology or Food Science & Technology or Food & Nutrition or Edible Oil Technology or Microbiology or Dairy Technology or Agricultural or horticultural Sciences or Industrial Microbiology or Toxicology or Public Health or Life Science or Biotechnology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or any other subject as approved by Food	No	One Year	(i) 60 % by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) or absorption (ii) 40 % by Direct recruitment	(a) For Promotion: Joint Director in Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying (b) For Deputation (including short term contract) or Absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member. (iv) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare - Member (v) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	Not Applicable

IndiaCode

						Authority from time to time OR PG Diploma of at least one year duration from a recognized University or Institution in Food Safety and Quality Assurance (under appropriate nomenclature) and approved by the Food Authority from time to time OR BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bachelor's degree (not less than four years duration) in Medicine or Veterinary sciences or Fisheries or Animal Sciences or any other subject as approved by Food Authority from time to time and; . (b) (ii) with fourteen years experience of working in research and development in Laboratory or Research Institutions or Scientific Organisations in the field of food science or standards or safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; OR (c) (i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with twelve years experience of working in research and development in Laboratories or Research Institutions or				Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 12 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for Direct Recruitment under column 7.		

IndiaCode

						Scientific Organisations in the field of food science or standards or safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and (c) (ii) Should have published research work in related field. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost To company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The educational qualification and experience from the above will be						

IndiaCode

						decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion						
4. Joint Director	"32*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800-2,09,200)	Selection	50 Years	(a) (i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institution; and (ii) Twelve Years experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement. Desirable: MBA degree or equivalent from a recognised university or Institution OR (b) Full time Degree of Law from a recognised University or institution with twelve years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed	No	One Year	(i)60% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) or absorption (ii) 40% by Direct recruitment	(a) For promotion : Deputy Director in Level 11(Rs.67,700-2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards	Not applicable

IndiaCode

						Government or Autonomous body or Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Law firms. OR (c) (i) "Master Degree from a recognized University or Institution in Chemistry or Biochemistry or Food Technology or Food Science &Technology or Food & Nutrition or Edible Oil Technology or Microbiology or Dairy Technology or Agricultural or horticultural Sciences or Industrial Microbiology or Toxicology or Public Health or Life Science or Biotechnology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or any				next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (b) For deputation (including short term contract) or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations: :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level	Authority of India - Member.	

IndiaCode

						other subject as approved by Food Authority from time to time OR PG Diploma of at least one year duration from a recognized University or Institution in Food Safety and Quality Assurance (under appropriate nomenclature) and approved by the Food Authority from time to time OR BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bachelor's degree (not less than four years duration) in				11 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		

IndiaCode

						Medicine or Veterinary sciences or Fisheries or Animal Sciences or any other subject as approved by Food Authority from time to time. (c) (ii) with eleven years experience of working in research and development in Laboratory or Research Institutions or Scientific Organisations in the field of food science or standards or safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; OR (d)(i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with nine Years experience of						

IndiaCode

						working in research and development in Laboratories or Research Institutions or Scientific Organisations in the field of food science or standards or safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and (ii) Should have published research work in related field. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance Scale (as applicable) and in						

IndiaCode

						case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority						

IndiaCode

						is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The educational qualification and experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion						
5. Deputy Director	"44*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection	40 Years	(a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institution; and ten Years experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement.	No	Two Years	(i)60% by promotion failing which deputation (including short-term contract)or absorption (ii)40% by direct recruitment	(a) For promotion : Assistant Director or Assistant Director (Technical) or Food Analyst in Level 10 (Rs.56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Executive	Not applicable

IndiaCode

						Desirable: MBA degree or equivalent from a recognised university or Institution OR (b)Full time Degree of Law from a recognised University or institution with six years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed Government or Autonomous body or Research Institutions or Universities or Public Sector Undertaking or Law firms. OR (c) (i) "Master Degree from a recognized University or Institution in Chemistry or Biochemistry or Food Technology or Food Science & Technology or Food & Nutrition or				Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed	Director, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	

IndiaCode

						Edible Oil Technology or Microbiology or Dairy Technology or Agricultural or horticultural Sciences or Industrial Microbiology or Toxicology or Public Health or Life Science or Biotechnology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or any other subject as approved by Food Authority from time to time OR PG Diploma of at least one yearduration from a recognized University or Institution in Food Safety and Quality Assurance (under appropriate nomenclature) and approved by the Food Authority from time to time				such qualifying or eligibility service (b)For deputation (including short term contract) or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre departments; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 10 or equivalent in the parent cadre or		

IndiaCode

						OR BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache lor's degree (not less than four years duration) in Medicine or Veterinary sciences or Fisheries or Animal Sciences or any other subject as approved by Food Authority from time to time. (c) (ii) with nine years experience of working in research and development in Laboratory or Research Institutions or Scientific Organisations in the field of food science or standards or safety out of which				department; or (iii) With six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 8 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		

IndiaCode

						at least four years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; OR (d)(i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with seven Years experience of working in research and development in Laboratories or Research Institutions or Scientific Organisations in the field of food science or standards or safety out of which at least four years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and						

IndiaCode

						coordination; and (d)(ii) Should have published research work in related field. Desirable: Graduate Aptitude Test Engineering or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Agricultural Research National Eligibility Test. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance Scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to compnay for last two years to be decided by the competent authority						

IndiaCode

						and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up						

IndiaCode

						the vacancy reserved for them. Note 4: The educational qualification and experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion						
6. Assistant Director	"22*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection	35 Years	(a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institution; and six years' experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance and accounts matters depending on the post requirement. Desirable: MBA degree from a recognised university or Institution OR	No	Two Years	(i) 50% by promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption (ii) 50% by direct recruitment	(a) For promotion : Administrative Officer in Level 8(Rs.47,600-1,51,100) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India- Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Advisor, Food Safety and Standards	Not applicable

IndiaCode

						(b) Degree of Law from a recognised University or institution with three years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed Government or Autonomous body or Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Law firms. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the				requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (b) For deputation (including short term contract) or absorption : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government,	Authority of India - Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	

IndiaCode

						competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up				Statutory or Autonomous Organisations :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in pay Level 8 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or		

IndiaCode

						the vacancy reserved for them. Note 4: The educational qualification and experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion				department and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		
7. Administrative Officer	"25*(2018)"	General Central Service, Group-B, Non-Ministerial	Pay Level 08 (Rs.47,600-1,51,100)	Selection	30 Years	Bachelor's Degree from a recognised University or Institution; and three years' experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance and accounts matters depending on the post requirement. Desirable: Master degree or MBA(personnelor human resource management or Finance) or CA or CS or ICWA from a recognised	No	Two Years	(i) 90% by promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption (ii) 10% by direct recruitment	(a) For promotion : Assistant in Level 6(Rs.35,400-1,12,400) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Director, Food Safety and Standards Authority of India -	Not Applicable

IndiaCode

						university or Institution Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowances, or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The				or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (b) For deputation (Including Short Term Contract) or absorption : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous	Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	

IndiaCode

						qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The educational qualification and experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion				Organisations :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level 7 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		

IndiaCode

8. Assistant	"76*(2018)"	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400-1,12,400)	Selection	30 Years	Bachelor's Degree from a recognised University or Institution Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.	No	TwoYears	(i) 10% by promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption (ii) 90% by direct recruitment	(a) For promotion : Junior Assistant (Grade-I) in Level 4(Rs.25,500-81,100) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Director, Food Safety and Standards Authority India - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	Not Applicable

IndiaCode

										such qualifying or eligibility service (b) For deputation (Including Short Term Contract) or absorption : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 4 or equivalent in the		

IndiaCode

										parent cadre or department and (iii) Possessing three years' experience in administration, human resource development, or / and vigilance matters depending on the post requirement. (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		
9. Junior Assistant (Grade-I)	"12*(2018)"	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 04 (Rs.25,500-81,100)	Non-Selection	25 Years	12th Standard or equivalent examination from a recognized Board or University Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	No	Two Years	(i) 10% by promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption (ii) 90% by direct recruitment	For promotion: Junior Assistant Grade-II in Level 2 (Rs.19900-63200) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Selection Committee shall consists of: (i)Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii)Joint Director Food Safety and Standards Authority of	Not Applicable

IndiaCode

										considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	India - Member (iii) Deputy Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	
10. Junior Assistant (Grade-II)	"12*(2018)"	General Central Service,Group-C Non-Ministerial	Pay Level 02 (Rs.19900-63200)	Non-Selection	Not Applicable	12th Standard or equivalent examination from a recognized Board or University Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates	No	Not Applicable	(i) 100% promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption	For promotion: MTS in Level 1 (Rs.18,000-56,900) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Selection Committee shall consists of: (i)Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman.	Not Applicable

IndiaCode

						otherwise well qualified.				Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	(ii)Joint Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Deputy Director, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	
11. Assistant Director (OL)	"1*(2018)"	General Central Service, Group-A Non-	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection	Not Applicable	Not Applicable	No	Two Years	100% by promotion failing which deputation (including	(a) For promotion : Hindi Translator in Level 6(Rs.35,400-1,12,400) with eight	Selection Committee shall consist of – (i) Chief	Not Applicable

IndiaCode

		Ministerial							short-term contract) or absorption	years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (b) For	Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	

IndiaCode

										deputation (Including Short Term Contract) or absorption : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations : (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay Level 8 or equivalent in the parent cadre or department; or		

IndiaCode

										(iii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department and (b) Possessing the following educational qualification and experience :- Masters degree from a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR		

IndiaCode

										Master's degree from a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;		

IndiaCode

										OR Master's Degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) Three years's experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Government or Autonomous Body or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or Universities or		

IndiaCode

										educational institutions OR Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions		
12. Hindi Translator	"3*(2018)"	Group-'B' Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400 -1,12,400)	Not Applicable	30 Years	Masters degree from a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognized University in	Not applicable	Two Years	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee shall consist of: (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Director, Food Safety and Standards Authority of	Not Applicable

IndiaCode

						English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree					India - Member (iii) Joint Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; And Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority						

IndiaCode

						in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.						
13. Senior Private Secretary	"7*(2018)"	General Central Service, Group-B Non-	Pay Level 08 (Rs.47,600-1,51,100)	Selection	Not Applicable	Not Applicable	No	Not Applicable	100% by promotion failing which deputation (including	(a) For promotion : Personal Secretary in Level 7(Rs.44,900-	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive	Not Applicable

IndiaCode

		Ministerial							short-term contract) or absorption	1,42,400) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully	Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

										completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (b) For deputation (Including Short Term Contract) or absorption : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations :- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		

IndiaCode

										(i) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department.		
14. Personal Secretary	"17*(2018)"	Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection	Not Applicable	Not Applicable	No	Not Applicable	100% by promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption	(c) For promotion : Personal Assistant in Level 6(Rs. 35,400-1,12,400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii) Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated	Not Applicable

IndiaCode

										considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service (d) For deputation (Including Short Term Contract) or absorption : Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or	by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

										Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations :- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department.		
15. Personal Assistant	"39*(2018)"	General Central Service,Group-'B' Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400-1,12,400)	Not Applicable	30 Years	(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institution with proficiency in shorthand (80 WPM) and typing (40 WPM - English) and/ or (35 WPM-	Not Applicable	Two Years	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee shall consist of:- (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of	Not Applicable

IndiaCode

						Hindi) (ii) Should be computer literate and proficient in using MS Office and internet etc. Desirable: Diploma or certificate in office management and secretarial procedure or equivalent from a recognised or reputed institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.					India- Chairman. (ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii) Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	
16. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	"3*(2018)"	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 02 (Rs.19,900 -63,200)	Not applicable	25 Years	(i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle)	Not Applicable	Two Years	deputation or absorption failing which by direct recruitment.	Deputation or absorption: From amongst the regular Staff Car Driver in Pay Level -1 in any Government Organization and	Selection Committee consists of:- (i) Director, Food Safety and Standards Authority of India -	Not Applicable

IndiaCode

						(iii)Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th Standard Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up			For armed forces Personnel: deputation or re-employment.	who fulfill the necessary qualification as mentioned in column 7	Chairman. (ii) Joint Director Food Safety and Standards Authority of India – Member (iii) Deputy Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						the vacancy reserved for them.						
17. Multi Tasking Staff (MTS)	"50*(2018)"	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 01 (Rs.18,000-56,900)	Not applicable	25 Years	Matriculation or equivalent from recognised board Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two Years	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee consists of: - (i) Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Joint Director Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii) Deputy Director, Food Safety and Standards Authority India- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India – Member	Not Applicable

Scientific and Technical Cadre

IndiaCode

18. Assistant Director (Technical)	"60*(2018)"	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection	35 Years	(i) "Master Degree from a recognized University or Institution in Chemistry or Biochemistry or Food Technology or Food Science & Technology or Food & Nutrition or Edible Oil Technology or Microbiology or Dairy Technology or Agricultural or horticultural Sciences or Industrial Microbiology or Toxicology or Public Health or Life Science or Biotechnology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety &Quality Assurance or any other subject as approved by Food Authority from time to time OR PG Diploma of atleastone year duration from a recognized University or Institution in Food Safety and Quality Assurance (under appropriate nomenclature) and approved by the Food Authority from time to time OR BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology	No	Two Years	(i) 60% by promotion failing which deputation (including short-term contract)or absorption (ii) 40% by direct recruitment	For promotion: 80% from Technical Officer in Level 7(Rs.44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and 20% from CFSO in Level 7 (Rs.44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member. (iv)One expert of appropriate level to be nominated Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	Not Applicable

IndiaCode

						or Food Safety & Quality Assurance or Bachelor's degree (not less than four years duration) in Medicine or Veterinary sciences or Fisheries or Animal Sciences or any other subject as approved by Food Authority from time to time. Desirable qualification:- Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects and (ii) five Years relevant experience Desirable: Graduate Aptitude Test Engineering or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Agricultural Research National Eligibility Test. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent				have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifyingoreligibility service For deputation (Including Short Term Contract) or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations : (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadreordepartment; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 8 or equivalent in the parent cadre or department; or (ii) With three years		

IndiaCode

						authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.				regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii)with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		
19. Food Analyst	"10*(2018)"	General Central Service,Group-A Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Not Applicable	35 Years	(i) Master's degree in Chemistry or Biochemistry or microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or Bachelor of Technology in Dairy or Oil or degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by	No	Two Years	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee consists of :- i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member	Not Applicable

IndiaCode

						the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; and (ii) Has been declared qualified for appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Authority Desirable: Graduate Aptitude Test Engineering or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Agricultural ResearchNational Eligibility Test. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the					iii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member. iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India – Member	

IndiaCode

						requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.						
20. Technical Officer	"255*(2018)"	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400) The Technical Officer on completion of 3rd Year and 6th Year may be granted non-functional upgradation in pay Level 8 and 9 respectively subject to their vigilance clearance.	Not applicable	30 Years	"Master Degree from a recognized University or Institution in Chemistry or Biochemistry or Food Technology or Food Science & Technology or Food & Nutrition or Edible Oil Technology or Microbiology or Dairy Technology or Agricultural or horticultural Sciences or Industrial Microbiology or Toxicology or Public Health or Life Science or Biotechnology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or any other subject as approved by Food Authority from time to time OR PG Diploma of atleastone year duration from a recognized University or Institution in Food Safety and Quality Assurance (under appropriate nomenclature) and approved by the Food Authority from time to time OR BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology	No	Two Years	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee shall consists of: i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India – Chairman ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member iii) Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	Not Applicable

MadiaCode

						or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bachelor's degree (not less than four years duration) in Medicine or Veterinary sciences or Fisheries or Animal Sciences or any other subject as approved by Food Authority from time to time. Desirable: Graduate Aptitude Test Engineering or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Agricultural ResearchNational Eligibility Test. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.						
21. Central Food Safety Officer	"74*(2018)"	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400) The Central Food Safety Officer on completion of 3rd Year and 6th Year of may be	Not applicable	30 Years	(i) Degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Masters Degree in Chemistry or degree in medicine from a recognized University, or	NO	2 Years (During the period of probation direct recruits shall have to successful	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee shall consists of: i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India – Chairman ii) Advisor, Food	Not Applicable

IndiaCode

			granted non-functional pay Level 8 and 9 respectively subject to their vigilance clearance.			(ii)any other equivalent or recognized qualification notified by the Central Government. Desirable: Graduate Aptitude Test Engineering or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Agricultural ResearchNational Eligibility Test. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.		ly complete training as specified by the Food Authority in a recognized institute or Institution approved for the purpose for confirmation)			Safety and Standards Authority of India - Member iii) Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

Information Technology & Specialized Cadre

22. Chief Technology Officer	"1*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) or Consolidated remuneration in the range of Rs. (160000-258300) depending upon year of experience	Not Applicable	50 Years	(i) Bachelor's or Master's Engineering degree in any stream from a reputed university. (ii) Should have a minimum of sixteen years in the Information Technology industry with	Not applicable	One Year	By 100% direct Recruitment	Not applicable	Selection Committee shall comprise of:- (i) Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India -Chairman (ii) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare - Member	Not Applicable

						at least ten. years into large application development. (iii) Should have at least five years of experience of working with the Governmentor Public Sector Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled					(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India-Member.	

IndiaCode

						Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.						
23. Senior Manager (IT)	"2*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) or Consolidated remuneration in the range of Rs.110000-Rs.275000 depending upon years of experience	Selection	50 Years	(i) B. Tech or M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline or MCA or Bachelor's Degree in Relevant field. (ii) ten years of total experience (iii) minimum five years'	Not applicable	one Year	(i) By 25% by promotion failing which deputation (including short term contract)or absorption. (ii) By 75% by direct recruitment	For promotion: Manager (IT) in Level 11(Rs. 6770470-208700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India- Chairman. (iii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii) CTO, Food Safety and Standards Authority of India-	Not applicable

IndiaCode

						experience in relevant field. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement				considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service For deputation (including short term contract)or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or	Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities				department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 11 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		

IndiaCode

						possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
24. Manager (IT)	"2*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 11 (Rs.67,700-2,08,700) or Consolidated remuneration in the range of Rs.95000-Rs.270000 depending upon years of experience	Selection	40 Years	i) B. Tech or M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline or MCA or Bachelor's Degree in	Not applicable	Two Years	By 100% promotion failing which deputation(including short term contract) or absorption or direct recruitment on contract basis	For promotion: Deputy Manager (IT) in Level 10(Rs. 56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India- Chairman. (ii) Executive	Not applicable

IndiaCode

						Relevant field. (ii) eight years of total experience (iii) minimum five years' experience in relevant field. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years				Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service For deputation (including short term contract)or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government,	Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii)CTO, Food Safety and Standards Authority of India-Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the				Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (i) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualification as prescribed for direct recruitment under column 7.		

IndiaCode

						competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
25. Deputy	"4*(2018)"	General Central	Pay Level 10 (Rs.56,100-	Selection	35	(i) B. Tech or M.	Not	Two	By 100% promotion failing which	For promotion:	Selection Committee	Not

IndiaCode

Manager (IT)		Service, Group-A, Non-Ministerial	1,77,500) or Consolidatedremuneration in the range of Rs.80000-Rs.234000 depending upon years of experience		Years	Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline or MCA or Bachelor's Degree in Relevant field. (ii) six years of total experience (iii) minimum three years' experience in relevant field. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates	applicable	Years	deputation(including short term contract) or absorption or direct recruitment on contract basis	Assistant Manager (IT) in Level 7(Rs. 44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service For deputation (including short term contract)or absorption: Officers of the Central	for shall consists of: (ii) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India- Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii)CTO, Food Safety and Standards Authority of India-Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member	applicable	

IndiaCode

						working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of				Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment in column 7		

IndiaCode

						candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in						

IndiaCode

						the advertisement on each occasion.						
26. Assistant Manager (IT)	"10*(2018)"	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400) or Consolidated remuneration in the range of Rs.60000-Rs.186000 depending upon years of experience	Selection	30 Years	(i) B. Tech or M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline or MCA or Bachelor's Degree in Relevant field. (ii) 5 Years of total experience (iii) minimum 3 years' experience in relevant field Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent	Not applicable	Two Years	By 95%- direct recruitment and by 5% promotion failing which deputation(including short term contract) or absorption	For promotion: IT Assistant in Level 6(Rs. 35400-112400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Selection Committee shall consists of: (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India – Chairman (ii) CTO, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii) Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	Not applicable

IndiaCode

						industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The				service For Deputation (including short term contract)or Absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment		

IndiaCode

						qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is the basic eligibility				under column 7.		

IndiaCode

						criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
27. IT Assistant	"6*(2018)"	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35400-112400) or Consolidated remuneration in the range of Rs. 50000-150000 depending upon years of experience	Not applicable	30 Years	(i) Bachelor's Degree. Note:- The aforesaid educational qualification is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	Not applicable	Two Years	By 100%-direct recruitment	Not applicable	Selection Committee shall consists of: (i)Director, Food Safety and Standards Authority of India-Chairman. (ii) CTO, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii)Deputy Director-Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	Not applicable
28. Principal Manager	"1*(2018)"	General Central Service, Group-A, Non-	Pay Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) or Consolidatedremuneration in the range of	Not applicable	50 Years	(i) Post Graduate Degree or Diploma (Full Time courses)	Not applicable	One Year	By 100% direct recruitment	Not applicable	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards	Not applicable

IndiaCode

		Ministerial	Rs.165000-Rs.280000 depending upon year of experience			in journalism or Mass communication or Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute OR Post Graduate Degree or Diploma in Social Work or psychology or Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute and (ii) Sixteen years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central					Authority of India- Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii)Advisor, Food Safety and Standards Authority of India- Member. (iv) Representative of Ministry of Health and Family Welfare - Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well						

IndiaCode

						qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience						

IndiaCode

						is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
29. Senior Manager	"2*(2018)"	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) or Consolidated remuneration in the range of Rs.110000-Rs.275000 depending upon years of experience	Selection	50 Years	(i) Post Graduate Degree or Diploma (Full Time courses) in journalism or Mass communication or Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute <u>OR</u> Post Graduate Degree or Diploma in Social Work or psychology or Labour and Social Welfare		One Year	(i) By 75% direct recruitment (ii) By 25% promotion failing which by deputation(including short term contract) or absorption	For promotion: Manager in Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India-Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii)Advisor, Food Safety and Standards Authority of India-Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member	Not applicable

IndiaCode

						from a recognized university or Institute and (ii) Ten years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance Scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the				probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service For deputation (including short term contract)or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (i) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level 11 or equivalent in the parent cadre or department;		

IndiaCode

						competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of				and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		

IndiaCode

						the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
30. Manager	"8*(2018)"	General Central Service, Group-A Non-	Pay Level 11 (Rs.67,700-2,08,700) or Consolidated remuneration in the range of Rs.95000-Rs.270000 depending upon years of	Selection	40 Years	(i) Post Graduate Degree or Diploma (Full Time courses) in journalism or Mass	Not applicable	Two Years	(i) 75% direct recruitment (ii) 25% promotion failing which by deputation(including short term contract)	For promotion: Deputy Manager in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India-	Not applicable

IndiaCode

		Ministerial	experience			communication or Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute OR Post Graduate Degree or Diploma in Social Work or psychology or Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute OR Master's degree in Library Sciences or Library and Information Science from a recognized University or Institute and			or absorption	appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service For deputation (including short term contract)or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research	Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii)Advisor, Food Safety and Standards Authority of India-Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						(ii) Eight years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the				Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (i) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 10 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.		

IndiaCode

						advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of						

IndiaCode

						candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
31. Deputy Manager	"16*(2018)"	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500) or Consolidated remuneration in the range of Rs.80000-Rs.234000 depending upon years of experience	Selection	35 Years	(i) Post Graduate Degree or Diploma (Full Time courses) in journalism or Mass communication or Public Relation or	Not applicable	Two Years	(i) 75% direct recruitment (ii) 25% promotion failing which by deputation(including short term contract) or absorption	For promotion: Assistant Manager in Level 7(Rs. 44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India-Chairman. (ii) Executive	Not applicable

IndiaCode

						MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute OR)Post Graduate Degree or Diploma in Social Work or psychology or Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute OR Master's degree in Library Sciences or Library and Information Science of a recognized University or Institute (ii) Six years' experience in				Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service For deputation (including short term contract)or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government,	Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii)Advisor, Food Safety and Standards Authority of India-Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent authority and shall be indicated in the advertisement on each				Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment in column 7		

IndiaCode

						occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these						

IndiaCode

						communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
32. Assistant Manager	"8*(2018)"	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400) or Consolidated remuneration in the range of Rs.60000-Rs.186000 depending upon years of experience	Not applicable	30 Years	A.(i)Post Graduate Degree or Diploma (Full Time courses) in journalism or Mass communication or Public Relation or MBA with specialization	Not applicable	Two Years	By 100% direct recruitment	Not applicable	Selection Committee shall consists of: (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India – Chairman (ii) Director, Food Safety and Standards Authority of India-	Not applicable

IndiaCode

						in Marketing from a recognized university or Institute OR (ii)Post Graduate Degree or Diploma in Social Work or psychology or Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute OR B.(i)Bachelor's degree in Library Sciences or Library and Information Science of a recognized University or Institute (ii)Two years professional experience in a Library under Central or State Govt. or					Member (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	

IndiaCode

						Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University. Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness allowance scale (as applicable) and in case of candidates working in private sector he or she shall be drawing minimum comparable annual cost to company for last two years to be decided by the competent						

IndiaCode

						authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion						

IndiaCode

						that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 4: The aforesaid educational qualification and experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						

* Subject to variation dependent on workload.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./243/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.11 18:19:53 +05'30'